अति–आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यान हेतु

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

कमांकः राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / 2009 / 2689 दिनांक 19/11/09

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :– बकाया वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन की पूर्ति बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्र कमांकः राजपत्रित / डीपीसी / एसीआर / परिपत्र / 2009 / 1931 दिनांक 09.04.09

उपरोक्त विषय मे आपका ध्यान निदेशालय के सन्दर्भित पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है। निदेशालय मे प्राप्त हो रही ए.सी.आर. के अवलोकन से यह प्रतीत होता है, कि आप द्वारा बकाया ए.सी.आर. की समय पर पूर्ति कराने व आपके स्तर पर ए.सी.आर. के प्राप्त होने तथा समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी को भेजे जाने का कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है अर्थात् ए.सी.आर. के महत्व को आप गंभीरता से नहीं ले रहे है।

अतः लेख है, कि आपके अधीन कार्यरत संबंधित लिपिक जो कि ए.सी.आर. के रख रखाव की जानकारी रखता हो (अन्य कर्मचारी को नहीं) उसे संलग्न प्रपत्रानुसार निर्धारित तिथि को निदेशालय मे आपके अधीन कार्यरत चिकित्सको की सूची मय ए.सी.आर. की स्थिति 1999–2000 से 2008–09 तक के विवरण सहित भिजवाये, ताकि निदेशालय स्तर पर उपलब्ध अभिलेख से मिलान कर वास्तविक बकाया ए.सी.आर. की स्थिति उन्हे उपलब्ध कराई जा सके।

उक्त सूचना आपके पास प्राप्त होने पर आपसे अपेक्षा की जाती है, कि आगामी 15 दिवस मे आप बकाया ए.सी.आर. की निर्धारित चैनल अनुसार पूर्ति कराने हेतु अपना पूर्ण प्रयास करेगे। किसी चिकित्सक की बकाया ए.सी.आर. की पूर्ति मे आ रही कठिनाई हेतु तुरंत निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करेगे। 15 दिवस की अवधि पश्चात् अगर कोई ए.सी.आर. बकाया रहती है, तो आपके विरूद्व सीसीए–17 के तहत कार्यवाही हेतु आरोप पत्रादि राज्य सरकार को भिजवा दिये जावेगे।

इसे अति महत्वपूर्ण समझा जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर
कृ. प. उ.

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / 2689 दिनांक 19/11/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प.क. / एडस् / ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
5. समस्त प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज एवं नियत्रंक, सम्बद्व अस्पताल।
6. समस्त अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय।
7. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. अधीक्षक, क्षयरोग निवारण केन्द्र
9. प्रधानाचार्य, आर.एफ.पी.टी.सी., जयपुर / अजमेर।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क.स.	जिले का नाम	निर्धारित तिथि
1.	अजमेर, भीलवाडा	03.12.2009
2.	टौंक, नागौर	04.12.2009
3.	सवाई माधोपुर, करौली	07.12.2009
4.	दौसा, भरतपुर, धौलपुर	08.12.2009
5.	सीकर, झुन्झुनु, चुरू	09.12.2009
6.	बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ	10.12.2009
7.	कोटा, बून्दी, बांरा	11.12.2009
8.	झालावाड, जयपुर, अलवर	14.12.2009
9.	जोधपुर, पाली	16.12.2009
10.	जालौर, सिरोही	17.12.2009
11.	उदयपुर, राजसमन्द, प्रतापगढ	18.12.2009
12.	चित्तौडगढ, बांसवाडा, डूॅगरपुर	21.12.2009
13.	बाडमेर, जैसलमेर	22.12.2009